पत्रांक 15/पी 5–06/2015
बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

अरशद फिरोज, बि0प्र0से0
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 2018

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजनान्तर्गत मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना के लिए चिन्हित भूमि में मिट्टी/बालू भराई हेतु कुल रू0 1,94,08,000/– (एक करोड़ चौरान्बे लाख आठ हजार मात्र) की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल रू0 1,00,00,000/– (एक करोड़ मात्र) सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजनान्तर्गत मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना के लिए चिन्हित भूमि में मिट्टी/बालू भराई हेतु कुल रू0 1,94,08,000/– (एक करोड़ चौरान्बे लाख आठ हजार मात्र) की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल रू0 1,00,00,000/– (एक करोड़ मात्र) सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई हैं।

2. मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना के लिए मीठापुर बस स्टैण्ड, पटना के निकट कुल 5.04 एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है। चिन्हित भूमि पर भवन निर्माण से पूर्व भूमि का समतलीकरण किया जाना आवश्यक है। चिन्हित भूमि पर बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना द्वारा स्थानीय मिट्टी/बालू भराई का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए निगम द्वारा कुल रू0 1,94,08,000/– (एक करोड़ चौरान्बे लाख आठ हजार मात्र) की निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है तथा योजना क्रियान्वित हो रही है।

3. पूर्व में बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 133 दिनांक 17.03.2016 द्वारा दिनांक 06.01.2016 की योजना प्राधिकृत समिति की बैठक तथा दिनांक 08.03.2016 को मंत्रिपरिषद् की सहमति के आलोक में इस निमित कुल रू0 2,13,48,900/– (दो करोड़ तेरह लाख अड़तालीस हजार नौ सौ रू0) मात्र की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। परंतु राशि निकासी नहीं की गई है। वर्तमान में निगम द्वारा आमंत्रित किए गए निविदा के आलोक में इस निमित रू0 1,94,08,000/– (एक करोड़ चौरान्बे लाख आठ हजार मात्र) की योजना की ही स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा तत्काल इस निमित रू0 1,00,00,000/– (एक करोड़ मात्र) सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

4. स्वीकृत की जा रही राशि की निकासी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, शिक्षा विभाग द्वारा नया सचिवालय, विकास भवन कोषागार से पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर किया जायेगा एवं राशि की निकासी कर इसे वरीय लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के पी0एल0 खाता (पी0एल0 खाता संख्या 237) में जमा किया जाएगा।

5. स्वीकृत की जा रही राशि के व्यय का विकलन मांग संख्या 21, मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा उपमुख्य शीर्ष– 03 विश्वविद्यालय तथा उच्चत्तर शिक्षा, लघुशीर्ष 102– विश्वविद्यालयों को सहायता, उपशीर्ष 0115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास विपत्र कोड 21-2202031020115, विषय शीर्ष 0115. 31. 05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18

में किया जाएगा। इस बजट शीर्ष में वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल रू0 80,00,00,000/– (अस्सी करोड़) मात्र बजटीय उपबंध है।

6. इस योजना के क्रियान्वयन के क्रम में गुणवत्ता के लिए बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के संबंधित पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होंगे एवं किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग जाँचोपरांत नियमानुकूल कार्रवाई कर सकेगा।

7. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय संकल्प संख्या 3758 दिनांक 31.05.2017 एवं संचिका संख्या 15/पी 5–06/2015 में दिनांक 02.01.2018 को पृष्ठ 45/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति के आधार पर निर्गत किया जा रहा है।

8. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक 877–907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत होने के पश्चात् राशि निकासी की जाएगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

9. भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक तथा राज्य सरकार के अंकेक्षण विभाग (वित्त) को यह अधिकार होगा कि वे इस राशि का अंकेक्षण करें। इसलिए इस राशि का लेखा जोखा अलग से रखा जाएगा।

10. निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग को इसकी सूचना दी जा रही है।

11. इस राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

12. प्रस्ताव एवं प्रारूप में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक 15/पी 5–06/2015 88 पटना, दिनाक 5/1/2018

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव शिक्षा विभाग के निजी सहायक/वित्त विभाग (स्कीम एवं बजट शाखा)/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/ कुलसचिव, मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/निदेशक, उच्च शिक्षा/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ लेखापाल, उच्च शिक्षा/प्रशाखा पदाधिकारी– 5 एवं 15 शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय बेवसाईट पर अपलोड़ करें।

(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव

MMHU Sanlekh 2017-18